



AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR
JODHPUR 342304, Rajasthan, India
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304, राजस्थान, भारत

Telefax 0291
2570711(O)
E-mail:
vcunivag@gmail.com

No. F ()Est/Gr. II/2018/ 2713-2729

Dated- 15.09.2018

Dean, CoA, Mandor/Sumerpur/Nagaur
Director, Research/Extension Education/Education/HRD
ZDR, ARS, Mandor/Jalore
Project Coordinator PC Unit, ARS, Mandor, Jodhpur
CoE, Agriculture University, Jodhpur
Officer Incharge, ARSS. *Sumerpur, Nagaur, Samdari*
Senior Scientist cum Head, KVK. *Phalodi, Nagaur, Maulasar, Gudamalani,*
Keshwana-Jalore, Sirahi
Subject-Regarding modal holiday calendar for 2018-19

The modal Holiday calendar for 2018-19 received from Secretary, Governor's Secretariate Raj Bhawan, Rajasthan Jaipur is enclosed herewith for strict compliance.

Encl-Holiday Calendar 2018-19

REGISTRAR

अवकाश कलैण्डर 2018-19

क्र.सं.	विवरण	वार	तिथि
1.	स्वतन्त्रता दिवस	बुधवार	15.08.2018
2.	ईदुलजुहा	बुधवार	22.08.2018
3.	रक्षा बन्धन	रविवार	26.08.2018
4.	जन्माष्टमी	सोमवार	03.09.2018
5.	रामदेव जयन्ती / तेजादशमी	बुधवार	19.09.2018
6.	मोहर्रम	शुक्रवार	21.09.2018
7.	नवरात्रा स्थापना	बुधवार	10.10.2018
8.	दशहरा अवकाश	बुधवार से शुक्रवार	17.10.2018 से 19.10.2018
9.	दीपावली अवकाश	गुरुवार से शुक्रवार	01.11.2018 से 09.11.2018
10.	बारावफात	बुधवार	21.11.2018
11.	गुरुनानक जयन्ती	शुक्रवार	23.11.2018
12.	किसमस दिवस	मंगलवार	25.12.2018
13.	शीतकालीन अवकाश	बुधवार से मंगलवार तक	26.12.2018 से 01.01.2019 तक (अधिकतम सात दिवस)
14.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती		
15.	गणतन्त्र दिवस		
16.	महाशिवरात्री		
17.	होलिका दहन		
18.	धूलण्डी		
19.	गुड फ्राइडे		
20.	चेटीचण्ड		
21.	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती		
22.	रामनवमी		
23.	महावीर जयन्ती		
24.	इदुलफितर		
25.	महाराणा प्रताप जयन्ती		
26.	ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 30 जून 2019 तक (अधिकतम दो माह)		

जनवरी, 2019 से प्रारंभ होने वाले अवकाश सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की घोषणानुसार होंगे।

1. अशैक्षणिक कर्मियों के लिए कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 1.30 से 2.00 बजे तक लन्च ब्रेक) रहेगा।
2. शैक्षणिक कर्मियों के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम 40 घण्टे प्रति सप्ताह रहेगा।
3. कुलपति को कलेण्डर वर्ष में 3 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार रहेगा।
4. जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश राजकीय विश्वविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
5. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में दो ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है।

तारीख
21/8/18